प्रेस नोट

दिनांक 04.02.2024

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कौडिया पुलिस ने 04 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 04.02.2024, थाना कौडिया
जनपद गोण्डा।

थाना कौडिया क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना कौडिया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 380/2023, धारा 363 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त संजय वर्मा पुत्र अमरनाथ वर्मा निवासी ग्राम परसियारानी पण्डितपुरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा को थाना कौडिया पुलिस के अथक प्रयास से कटौली चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौडिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा थाना कौडिया पर सूचना दिया कि मेरी नाबालिक पुत्री को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाने की सूचना दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौडिया में मु0अ0सं0- 380/2023, धारा 363 भादवि बनाम संजय वर्मा के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 04.02.2024 को थाना कौडिया की पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत अभियुक्त संजय वर्मा पुत्र अमरनाथ वर्मा निवासी ग्राम परसियारानी पण्डितपुरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा को कटौली चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पीडिंता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 376 भादवि व 5L/6 पास्को एक्ट की बढोत्तरी किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. संजय वर्मा पुत्र अमरनाथ वर्मा निवासी ग्राम परसियारानी पण्डितपुरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 380/2023, धारा 363, 376 भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना कौडिया, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सुनील कुमार सिंह
02. हे0का0 अनिल यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।